

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-49/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मल्लिका सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), गर्दनीबाग अस्पताल, पटना को विभागीय आदेश संख्या-1000(2) दिनांक-14.05.2026 के द्वारा दिनांक-07.04.2026 से 05.06.2026 तक कुल-60 (साठ) दिनों की अवधि को उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसी क्रम उनके अभ्यावेदन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-905(25), दिनांक-28.04.2026 के द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 के आलोक में दिनांक-06.06.2026 से 31.07.2026 तक कुल-56 दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-49/2026- 1227(2) पटना, दिनांक 08/06 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: उपाधीक्षक, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० मल्लिका सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), गर्दनीबाग अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।

